तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 7473 / 2016 / बाडमेर** **हरलाल बनाम कानाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–
श्री एस.पी. सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री विकास पाराशर, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः 23–02–2024

यह निगरानी जिला कलक्टर बाडमेर द्वारा प्रकरण संख्या 92 / 2016 में पारित निर्णय दिनांक 04–10–2016 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि मौजा प्रजापतों की ढाणी तहसील बाडमेर स्थित वादग्रस्त भूमि बाबत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार बाडमेर द्वारा गैरकानूनी तौर पर दिनांक 06–10–1998 को आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने जिला कलक्टर बाडमेर के समक्ष अपील पेश की, जिसको मियाद बाहर प्रस्तुत होना मानकर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 04–10–2016 द्वारा खारिज कर दिया गया। उनका तर्क है कि जिला कलक्टर बाडमेर के समक्ष प्रार्थीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में समुचित एवं पर्याप्त कारण उल्लेखित किये थे तथा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया था जिसके विरोध में अप्रार्थी संख्या 1 से 7 द्वारा कोई प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया गया, इसके बावजूद अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पर्याप्त एवं समुचित कारण को नजरअंदाज करके अपील को मनमाने तौर पर मियाद बाहर होना मानकर खारिज करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णय दिनांक 04–10–2016 निरस्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 7473 / 2016 / बाडमेर** **हरलाल बनाम कानाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया जावे तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–10–1998 को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 2007 आरआरडी 73 का न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–10–2016 को समुचित बताते हुए निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं न्याय दृष्टांत का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि तहसीलदार बाडमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–10–1998 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 19–09–2016 को अत्यधिक मियाद बाहर अपील पेश की तथा मियाद के संबंध में पर्याप्त एवं समुचित कारण धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा लगभग 18 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में तहसीलदार के आदेश का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 22–08–2016 को होना बताया है परन्तु प्रार्थना पत्र एवं इसके संलग्न शपथ पत्र में यह नहीं बताया कि इतने वर्षो तक प्रार्थीगण को विभाजन आदेश का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? जबकि विलम्ब के शमन हेतु दिन–प्रतिदिन की देरी को कारण सहित स्पष्ट करना होता है। ऐसी स्थिति में मियाद के शमन हेतु पर्याप्त एवं समुचित कारण उल्लेखित नहीं किये जाने से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय पारित निर्णय दिनांक 04–10–2016 से पूर्णतया सहमत हैं एवं आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। हमारे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 7473 / 2016 / बाडमेर</u>** **हरलाल बनाम कानाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विनम्र मत में प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्याय दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–10–2016 बहाल रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	